बरेली मंडल के क्षेत्रीय विकास में विधायक विकास निधि योजना की भूमिका: बरेली जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण

प्रशांत कुमार[1*] और डॉ० बृजवास कुशवाहा[2]

[1] शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज बरेली, संबद्ध: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज बरेली, संबद्ध: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

*Correspondence Author: प्रशांत कुमार

Received 7 Aug 2025; Accepted 26 Sep 2025; Published 6 Oct 2025

DOI: https://doi.org/10.64601/dpvyhf36

सारांश

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना (MLA Local Area Development Scheme – MLALADS) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण विकेन्द्रीकृत विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों का चयन एवं क्रियान्वयन करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत विधायकों को प्रतिवर्ष निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे क्षेत्रीय अवसंरचना, सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा सामाजिक उपयोगिता से संबंधित परियोजनाओं की संस्तुति कर सकें। प्रस्तुत शोध-पत्र में बरेली मंडल के अंतर्गत बरेली जनपद के विशेष संदर्भ में इस योजना की भूमिका का समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के जिला-स्तरीय आंकड़ों का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत "आगणित लागत" को व्यय का आधार मानते हुए विधानसभा-वार एवं उद्देश्य-वार वितरण का परीक्षण किया गया। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि तीनों वर्षों में विधायक निधि का कुल स्वीकृत व्यय लगभग 4,900 से 5,000 लाख रुपये के स्तर पर रहा, जबकि वर्ष 2025–26 में तुलनात्मक रूप से कुछ कमी परिलक्षित हुई। यह प्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों तथा परियोजनाओं की प्रकृति से संबंधित हो सकती है। उद्देश्य-वार वितरण से स्पष्ट है कि निधि का प्रमुख भाग आधारभूत अवसंरचना के विकास पर व्यय किया गया। विशेष रूप से "हाई मास्ट लाइट", "सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण" तथा "सोलर लाइट" जैसी परियोजनाओं पर सर्वाधिक निवेश किया गया, जो कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई भाग दर्शाता है। यह संकेत करता है कि स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा उन कार्यों को प्राथमिकता दी गई, जिनका प्रत्यक्ष एवं त्वरित प्रभाव जनजीवन की सुविधाओं पर पड़ता है। सड़क, जल निकासी एवं प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य न केवल शहरी एवं अर्ध-शहरी जीवन-स्तर को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों, सुरक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता को भी प्रोत्साहित करते हैं। हालाँकि, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि शिक्षा, पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ तथा सांस्कृतिक अवसंरचना जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम निवेश हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना का वर्तमान उपयोग मुख्यतः भौतिक अवसंरचना उन्नयन पर केंद्रित है, जबकि मानव संसाधन विकास एवं सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में निवेश की संभावनाएँ अभी भी व्यापक हैं। विधानसभा-वार वितरण से यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश क्षेत्रों में निधि का आवंटन संतुलित रहा है, जिससे क्षेत्रीय असमानता को सीमित करने का प्रयास दिखाई देता है। तथापि, योजना की दीर्घकालिक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि निर्मित परिसंपत्तियों का रख-रखाव, निगरानी एवं सामाजिक उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता तथा संस्थागत उत्तरदायित्व को सुदृढ़ कर इस योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। समग्रतः यह अध्ययन निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने क्षेत्रीय अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी समान रूप से प्राथमिकता प्रदान करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: विधायक विकास निधि योजना, क्षेत्रीय विकास, बरेली मंडल, सामाजिक-आर्थिक विकास, स्थानीय शासन, बुनियादी ढाँचा, सांस्कृतिक विकास, MLALADS

1. परिचय

वर्तमान भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्षेत्रीय विकास, स्थानीय प्रशासन और समावेशी आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक संरचना वाले देश में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अपनी विशिष्ट प्राथमिकताएँ, आवश्यकताएँ और विकासात्मक अंतर हैं। इन्हीं रिक्तियों को पाटने के लिए सरकारें समय-समय पर विभिन्न वित्तीय उपकरण और योजनाएँ लागू करती हैं। उनमें से एक प्रमुख योजना है *विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (MLA Local Area Development Scheme – MLALADS)*, जिसे भारतीय राज्यों में विधायकों के स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को सृजित, अनुशंषित और कार्यान्वित करने के लिए लागू किया गया है[1]। बरेली मंडल, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख प्रशासनिक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र है जिसमें बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों का सम्मिलित स्वरूप होता है। बरेली मंडल में कुल मिलाकर 25 विधान सभा छेत्र हैं जो निम्न प्रकार हैं-

तालिका 1: बरेली मंडल – विधानसभा क्षेत्र एवं विधायकों (MLAs)

क्र.सं.	विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency)	वर्तमान विधायक (MLA)	राजनैतिक दल (Party)
1.	बहेड़ी (118-बहेड़ी)	श्री अताउर्रहमान	समाजवादी पार्टी
2.	मीरगंज (119-मीरगंज)	डॉ. डी. सी. वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
3.	भोजीपुरा (120-भोजीपुरा)	श्री शाज़िल इस्लाम अंसारी	समाजवादी पार्टी
4.	नवाबगंज (121-नवाबगंज)	डॉ. एम. पी. आर्य	भारतीय जनता पार्टी
5.	फरीदपुर (122-फरीदपुर)	डॉ. श्याम बिहारी लाल *(वर्तमान में दिवंगत)*	भारतीय जनता पार्टी
6.	बिथरी चैनपुर (123-बिथरी चैनपुर)	डॉ. राघवेंद्र शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
7.	बरेली (124-बरेली)	डॉ. अरुण कुमार	भारतीय जनता पार्टी
8.	बरेली कैंट (125-बरेली कैंट)	श्री संजीव अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
9.	आंवला (126-आंवला)	श्री धर्मपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
10.	पीलीभीत (127-पीलीभीत)	श्री संजय सिंह गंगवार	भारतीय जनता पार्टी
11.	बरखेड़ा (128-बरखेड़ा)	श्री जयद्रथ उर्फ़ प्रवक्तानंद	भारतीय जनता पार्टी
12.	पूरनपुर (129-पूरनपुर)	श्री बाबूराम	भारतीय जनता पार्टी
13.	बीसलपुर (130-बीसलपुर)	श्री विवेक कुमार वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
14.	कटरा (131-कटरा) *(शाहजहाँपुर)*	डॉ. वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'	भारतीय जनता पार्टी
15.	जलालाबाद (132-जलालाबाद) *(शाहजहाँपुर)*	श्री हरि प्रकाश वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
16.	तिलहर (133-तिलहर) *(शाहजहाँपुर)*	श्रीमती सलोना कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
17.	पुवाया (134-पुवाया) *(शाहजहाँपुर)*	श्री चेतराम	भारतीय जनता पार्टी
18.	शाहजहाँपुर (135-शाहजहाँपुर) *(शाहजहाँपुर)*	श्री सुरेश कुमार खन्ना	भारतीय जनता पार्टी
19.	ददरौल (136-ददरौल) *(शाहजहाँपुर)*	श्री मानवेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
20.	बिसौली (112-बिसौली) *(बदायूँ)*	श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू	समाजवादी पार्टी
21.	सहसवान (113-सहसवान) *(बदायूँ)*	श्री ब्रजेश यादव	समाजवादी पार्टी
22.	बिल्सी (114-बिल्सी) *(बदायूँ)*	श्री हरिश्चन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
23.	बदायूँ (115-बदायूँ) *(बदायूँ)*	श्री महेश चन्द्र गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
24.	शेखुपुर (116-शेखुपुर) *(बदायूँ)*	श्री हिमांशु यादव	समाजवादी पार्टी
25.	दातागंज (117-दातागंज) *(बदायूँ)*	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया	भारतीय जनता पार्टी

यह क्षेत्र कृषि-आधारित आर्थिक गतिविधियों, ग्रामीण व अर्ध-शहरी सामाजिक संरचनाओं तथा विविध सांस्कृतिक विरासतों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई *विधायक विकास निधि योजना* का उद्देश्य इसी प्रकार के स्थानीय विकासात्मक अंतर को दूर करना तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवश्यकता-आधारित बुनियादी ढाँचा, सामाजिक सार्थकता और सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना है [2]।

पृष्ठभूमि एवं प्रासंगिकता

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 19 जून 1998 को वर्ष 1998–99 के बजट अनुमानों पर प्रस्तुत बजट भाषण में यह उल्लेख किया गया कि पूर्ववर्ती वर्ष से ही विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा यह निरंतर मांग की जा रही थी कि जिस प्रकार संसद सदस्यों के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की व्यवस्था है, उसी प्रकार विधान मण्डल के सदस्यों को भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन हेतु पृथक निधि उपलब्ध कराई जाए। इस मांग का उद्देश्य यह था कि विधायक अपने क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता दे सकें। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा जनता से संबंधित विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांगों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई कि वर्ष 1998–99 से विधान सभा तथा विधान परिषद के प्रत्येक माननीय सदस्य को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगभग 260 करोड़ रुपये की राशि से "विधायक विकास निधि" की स्थापना की गई। समय के साथ क्षेत्रीय आवश्यकताओं, महंगाई तथा विकास कार्यों के बढ़ते दायरे को ध्यान में रखते हुए इस निधि की राशि में क्रमिक वृद्धि की गई। वर्ष 2000–2001 से प्रति विधायक क्षेत्र यह राशि बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई। इसके पश्चात वर्ष 2012–13 से इसे 1.50 करोड़ रुपये, वर्ष 2018–19 से 2.00 करोड़ रुपये तथा वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति के लिए 40 लाख रुपये अतिरिक्त जोड़कर कुल 2.40 करोड़ रुपये कर दिया गया। आगे चलकर वर्ष 2020–21 से यह राशि बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपये कर दी गई तथा वर्ष 2023–24 से विधायक विकास निधि को जीएसटी सहित कुल 5.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया [3]।

इस प्रकार विधायक विकास निधि योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देना, जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना तथा संतुलित एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करना रहा है। केंद्र स्तर पर *संसद*

सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) लागू है, जिसमें संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और समुदाय-उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु निधि प्रदान की जाती है (MLALADS & MPLADS Guidelines) [4]. राज्य स्तर पर इस संरचना का अनुवर्ती रूप *विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (MLALADS)* के रूप में विकसित हुआ है जो विशेष रूप से विधानसभा सदस्य (MLA) को उनके क्षेत्र में पाकिस्तान-आधारित विकास कार्यों को सुझाने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित *MLALADS Guideline 2023*[5] यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि निधि का उपयोग केवल ऐसे कार्यों के लिए किया जा सकता है जो सार्वजनिक उपयोग में स्थायी, आवश्यक और क्षेत्र-विशिष्ट हों तथा जिनसे स्थानीय समुदाय के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित हो। Guidelines के अनुसार निधि सामान्यतः सड़क निर्माण, जल आपूर्ति योजनाएँ, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित परिसंपत्तियों, सामुदायिक भवनों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण हेतु खर्च की जा सकती है।

विधायक विकास निधि योजना के व्यय संबंधी नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत [6]

विधान मण्डल के दोनों सदनों—विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु "विधायक विकास निधि" उपलब्ध कराई जाती है। इस निधि के समुचित, पारदर्शी तथा उद्देश्यपरक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाते हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निधि का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा सार्वजनिक हित के कार्यों में ही किया जाए।

1. वार्षिक वित्तीय सीमा

इस योजना के अंतर्गत विधान मण्डल के प्रत्येक माननीय सदस्य को प्रतिवर्ष अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) तक की धनराशि से विकास कार्य कराने का अधिकार है। सदस्यगण अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर संबंधित मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer) को प्रेषित करते हैं। मुख्य विकास अधिकारी स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

2. निर्वाचन क्षेत्र के बाहर व्यय की अनुमति

यद्यपि निधि का प्राथमिक उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराना है, तथापि विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर भी सीमित धनराशि की संस्तुति कर सकते हैं। किसी गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रदेश के अन्य भागों में पुनर्वास हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम 5.00 लाख रुपये तक की संस्तुति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संशोधित प्रावधानों के अनुसार सदस्य प्रदेश के बाहर भी, राष्ट्रीय स्तर पर किसी गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, मुख्यमंत्री राहत कोष (उत्तर प्रदेश) के माध्यम से कुल अनुमन्य वार्षिक निधि के 7.5 प्रतिशत तक की धनराशि उपलब्ध कराने की अनुशंसा कर सकते हैं। यह व्यवस्था मानवीय आधार पर पुनर्वास कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ [7]

a) कार्य प्रस्ताव एवं क्रियान्वयन

- माननीय सदस्य स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन कर निर्माण कार्यों का विवरण मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराते हैं। मुख्य विकास अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं, वित्तीय नियमों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।
- संशोधित प्रावधानों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन केवल शासकीय विभागों, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों अथवा निगमित निकायों के माध्यम से ही कराया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कार्यदायी संस्थाएँ इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का सेंटेज शुल्क (percentage charges) नहीं मांगेंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी प्रत्येक वर्ष पात्र कार्यदायी संस्थाओं की सूची तैयार करेंगे। जिन संस्थाओं ने पूर्ववर्ती वर्ष में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य पूर्ण नहीं किए हैं, उन्हें सूची में पुनः शामिल नहीं किया जाएगा।
- यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि विधायक निधि की धनराशि का उपयोग बहुराज्यीय सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सहकारी संघों या निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
- हालाँकि, विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के भवनों का निर्माण, यदि वे सरकार, स्थानीय निकाय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अधीन हों, तो संबंधित प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक के माध्यम से कराया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि या उनके परिवारजन का किसी भी प्रकार का हितों का टकराव (Conflict of Interest) न हो।

b) कार्यों की प्रकृति

- इस योजना के अंतर्गत केवल विकासात्मक प्रकृति के निर्माण कार्य किए जाएंगे। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन पर विशेष बल दिया गया है। निधि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जा सकता।
- यद्यपि पूरक सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है, परंतु किसी भी प्रकार के आवर्ती व्यय—जैसे रख-रखाव हेतु कर्मचारी नियुक्त करना—की अनुमति नहीं है। इस प्रकार योजना का मूल उद्देश्य स्थायी संरचनाओं का निर्माण है, न कि नियमित प्रशासनिक व्यय को वहन करना।

c) आंशिक वित्तपोषण

- यदि किसी बड़े परियोजना कार्य की लागत का आंशिक भाग विधायक निधि से वहन किया जाना हो, तो यह तभी संभव है जब उस अंश से परियोजना का कोई स्पष्ट एवं स्वतंत्र रूप से पहचान योग्य भाग पूर्ण हो सके। उदाहरणार्थ, तटबंध निर्माण अथवा सूक्ष्म जल-निकासी कार्यों में आंशिक सहयोग दिया जा सकता है, बशर्ते उससे परियोजना का उपयोगी भाग पूर्ण हो।

d) बहुवर्षीय परियोजनाएँ

- कभी-कभी निर्माण कार्यों की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें पूर्ण होने में एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में कार्य के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करते हुए निधि अग्रिम रूप से या बहुवर्षीय अवधि के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे दीर्घकालिक परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

e) स्थल परिवर्तन पर प्रतिबंध

- माननीय सदस्य द्वारा चयनित कार्यस्थल को उनकी पूर्व सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता और स्थानीय जनता की अपेक्षाओं का सम्मान सुनिश्चित करता है।

f) भूमि संबंधी प्रावधान

- निर्माण कार्य हेतु भूमि अनिवार्यतः सरकारी होना आवश्यक नहीं है। नगर निकाय, पंचायती संस्थाएँ, निजी न्यास या व्यक्तियों द्वारा विधिवत अभ्यर्पित भूमि पर भी कार्य कराया जा सकता है। परंतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भूमि अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति या संस्था के पास वैध स्वामित्व अधिकार हो।
- जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भूमि का हस्तांतरण विधिक रूप से वैध हो तथा "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रियाएँ विधिक मान्यता प्राप्त करें। निर्मित परिसंपत्ति सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध रहनी चाहिए।
- विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों आदि के भवनों के निर्माण के पश्चात उनका स्वामित्व संबंधित संस्था का होगा, और यदि भूमि अभ्यर्पित की जाती है तो वह संस्था के पक्ष में होगी।

g) अनुमेय एवं अननुमेय कार्य

- इस योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की एक दृष्टांत सूची पृथक परिशिष्ट में दी जाती है, जबकि जिन कार्यों को निधि से नहीं कराया जा सकता, उनकी सूची भी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

h) अग्रिम भुगतान पर प्रतिबंध

- किसी भी कार्य के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान देना पूर्णतः निषिद्ध है। यह प्रावधान वित्तीय अनुशासन एवं दुरुपयोग की रोकथाम के उद्देश्य से किया गया है।

i) रख-रखाव एवं अनुश्रवण

- मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का रख-रखाव संबंधित स्थानीय निकाय अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा किया जाए। इससे परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित होती है।

उपरोक्त नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत विधायक विकास निधि योजना को पारदर्शी, उत्तरदायी और विकासोन्मुख बनाने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं। यह योजना स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका प्रदान करती है, साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखती है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा सार्वजनिक हित की प्राथमिकता इस योजना की मूल भावना है।

2. साहित्य-परिचय (Literature Review)

स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों (Local Area Development Funds) का उद्भव विकेन्द्रीकृत शासन (Decentralized Governance) की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकासात्मक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को स्थानीय विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों में संसदीय अथवा विधायी क्षेत्र विकास निधि योजनाएँ संचालित की जाती रही हैं। भारत में इस संदर्भ में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर चर्चा तब प्रारम्भ हुई जब वर्ष 1993 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) लागू की गई (Government of India, 2016)। इसके पश्चात अनेक राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर विधायक क्षेत्र विकास निधि योजनाएँ प्रारम्भ कीं, जिनका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आधारभूत अवसंरचना का निर्माण और सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "Constituency Development Funds" (CDFs) के रूप में इस प्रकार की योजनाएँ अफ्रीकी देशों—विशेषकर केन्या, घाना और युगांडा—में व्यापक रूप से लागू की गई हैं। Kimenyi (2005)[8] के अनुसार, CDF मॉडल स्थानीय प्रतिनिधियों को विकास संसाधनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदान करता है, जिससे जनता की तात्कालिक आवश्यकताओं का समाधान संभव होता है। हालांकि, इसी अध्ययन में यह भी रेखांकित किया गया है कि यदि निगरानी एवं पारदर्शिता तंत्र सुदृढ़ न हो तो निधियों के दुरुपयोग और राजनीतिक पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है।

International Budget Partnership (2010) [9] की रिपोर्ट में भी यह निष्कर्ष सामने आया कि स्थानीय विकास निधियाँ अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रभावी सिद्ध होती हैं, परंतु दीर्घकालिक विकास रणनीतियों के साथ समन्वय की कमी से स्थायी परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, वैश्विक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि CDF-प्रकार की योजनाओं की सफलता प्रशासनिक पारदर्शिता, स्थानीय सहभागिता और प्रभावी अनुश्रवण पर निर्भर करती है।

भारतीय संदर्भ

भारतीय परिप्रेक्ष्य में MPLADS पर अनेक अकादमिक अध्ययन किए गए हैं। Planning Commission (2011) [10] की मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि MPLADS ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेषकर सड़कों, सामुदायिक भवनों और पेयजल सुविधाओं के निर्माण में। तथापि, रिपोर्ट ने यह भी इंगित किया कि योजना के क्रियान्वयन में परियोजना चयन की पारदर्शिता, निधि के उपयोग में देरी और परिसंपत्तियों के रख-रखाव जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं।

Comptroller and Auditor General of India (CAG, 2010) [11] की ऑडिट रिपोर्ट ने MPLADS के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, विलंबित स्वीकृतियों तथा अधूरे कार्यों की ओर संकेत किया। रिपोर्ट के अनुसार, निधि की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय कितना सुदृढ़ है।

इसी क्रम में, Saxena (2013) [12] ने अपने विश्लेषण में यह तर्क दिया कि क्षेत्रीय विकास निधियाँ लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सशक्त करती हैं, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे जनता की मांगों के अनुरूप कार्यों का चयन करते हैं। किंतु, यदि स्थानीय निकायों और प्रशासनिक ढांचे के साथ समन्वय स्थापित न हो तो संसाधनों का दोहराव (duplication) और असंतुलित वितरण संभव है।

उत्तर प्रदेश में विधायक विकास निधि (MLALADS)

उत्तर प्रदेश में विधायक विकास निधि योजना का औपचारिक स्वरूप राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया गया है [13]। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि निधि का उपयोग केवल स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु किया जाएगा तथा राजस्व व्यय की अनुमति नहीं होगी। योजना के अंतर्गत पंचायतों और स्थानीय निकायों को प्राथमिकता देने का प्रावधान इस बात को दर्शाता है कि विकेन्द्रीकृत विकास और स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देना नीति का मूल उद्देश्य है।

राज्य-स्तरीय नीति-दस्तावेजों में यह रेखांकित किया गया है कि विधायक निधि का सर्वोत्तम उपयोग तब संभव है जब कार्यों का चयन ग्राम सभा या स्थानीय समुदाय की सहभागिता से किया जाए। स्थानीय स्तर पर सामाजिक निगरानी (social audit) और डिजिटल रिपोर्टिंग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। कुछ नीतिगत विश्लेषणों में यह भी पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में निधि का उपयोग प्रायः सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी पर केंद्रित रहता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन और पेयजल परियोजनाएँ प्रमुख रहती हैं [14]।

पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे

स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों के संदर्भ में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रमुख विमर्श के विषय रहे हैं। CAG (2010) तथा Planning Commission (2011) [15] की रिपोर्टों ने इस बात पर बल दिया कि यदि परियोजनाओं की निगरानी नियमित रूप से न की जाए तो अधूरी परियोजनाएँ और गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। Khemani (2007) [16] के अनुसार, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और मतदाता दबाव से जनप्रतिनिधि अल्पकालिक, दृश्यात्मक परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक निवेश प्रभावित हो सकता है।

इसी प्रकार, Manor (2010) [17] ने विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय स्तर पर संसाधनों का प्रभावी उपयोग तभी संभव है जब प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक भागीदारी समानांतर रूप से सुदृढ़ हो। अन्यथा, स्थानीय निधियाँ केवल प्रतीकात्मक विकास तक सीमित रह सकती हैं।

शोध की प्रासंगिकता

यद्यपि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विधायक या सांसद निधि योजनाओं पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हैं, परंतु जिला-स्तर पर विशिष्ट डेटा-आधारित समेकित विश्लेषण अपेक्षाकृत कम हैं। अधिकांश अध्ययन व्यापक नीति-विमर्श तक सीमित रहे हैं, जबकि वास्तविक व्यय-पैटर्न, उद्देश्य-वार वितरण तथा विधानसभा-वार तुलनात्मक विश्लेषण पर केंद्रित शोध दुर्लभ है। बरेली जनपद के संदर्भ में विधायक विकास निधि के तीन-वर्षीय समेकित विश्लेषण का अभाव इस अध्ययन को विशेष प्रासंगिकता प्रदान करता है। यह शोध न केवल निधि के उपयोग की प्रवृत्तियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर अवसंरचना-प्रधान विकास और सामाजिक-सांस्कृतिक निवेश के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रस्तुत अध्ययन साहित्य में विद्यमान अंतराल (research gap) को भरने का प्रयास करता है और जिला-स्तरीय प्रमाण-आधारित विश्लेषण प्रदान करता है।

3. उद्देश्य (Objectives)

किसी भी शोध-अध्ययन की दिशा और प्रासंगिकता उसके उद्देश्यों पर निर्भर करती है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य लक्ष्य बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना के प्रभाव, व्यय-पैटर्न तथा विकासात्मक प्राथमिकताओं का समग्र सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण करना है। यह अध्ययन मात्र व्यय-सारणी प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निधि के उपयोग की प्रकृति, प्राथमिकताओं की संरचना तथा विकास की दिशा को समझने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

i) विधानसभा-वार एवं कार्य-प्रकार-वार व्यय विश्लेषण

अध्ययन का प्रथम उद्देश्य बरेली जनपद में वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के दौरान विधायक विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की आगणित लागत का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इसके अंतर्गत दो स्तरों पर परीक्षण किया गया है—

- **विधानसभा-वार विश्लेषण:** प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन कर यह समझना कि निधि का वितरण संतुलित रहा या कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक केंद्रित रहा।
- **कार्य-प्रकार-वार विश्लेषण:** विभिन्न प्रकार के कार्यों—जैसे सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण, हाई मास्ट लाइट, सोलर लाइट, भवन निर्माण, शेड निर्माण, फर्नीचर, स्वागत द्वार आदि—पर हुए व्यय का प्रतिशत-आधारित विश्लेषण कर यह पहचानना कि निधि का झुकाव किन क्षेत्रों की ओर अधिक रहा।

इस उद्देश्य का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि विधायक निधि का उपयोग मुख्यतः भौतिक अवसंरचना पर केंद्रित रहा या सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के आयामों को भी समान महत्व दिया गया।

ii) अवसंरचना, सामाजिक सेवाएँ एवं सांस्कृतिक परियोजनाओं के मध्य संतुलन का मूल्यांकन

दूसरा उद्देश्य निधि के व्यय-पैटर्न का गुणात्मक विश्लेषण करना है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि निधि किस हद तक निम्नलिखित क्षेत्रों में संतुलित रही—

- **भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure):** सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, सार्वजनिक निर्माण आदि।
- **सामाजिक सेवाएँ (Social Services):** शिक्षा, पुस्तकालय, छात्रावास, स्वास्थ्य-सुविधाएँ, सामुदायिक भवन।

iii) सांस्कृतिक एवं सामुदायिक विकास (Cultural & Community Development): स्वागत द्वार, खेल सुविधाएँ, सामुदायिक मंच, सार्वजनिक आयोजन स्थल आदि।

यह विश्लेषण इस बात को स्पष्ट करने में सहायक है कि क्या विधायक निधि केवल त्वरित दृश्यात्मक परियोजनाओं तक सीमित रही या उसने सामाजिक पूंजी (Social Capital) और मानव विकास (Human Development) के आयामों को भी प्रोत्साहित किया। यदि निधि का अधिकांश भाग केवल भौतिक निर्माण पर व्यय हुआ हो, तो यह संकेत करता है कि दीर्घकालिक सामाजिक निवेश को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली।

नीति-सुझाव एवं प्रशासनिक सुधार हेतु सिफारिशें

अध्ययन का तृतीय उद्देश्य नीति-निर्माताओं एवं प्रशासनिक तंत्र के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है। इन सुझावों का लक्ष्य है—

- निधि के उपयोग की पारदर्शिता बढ़ाना
- सामाजिक सहभागिता को सुदृढ़ करना
- परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना
- विधानसभा-वार संतुलित विकास को बढ़ावा देना

इस प्रकार यह शोध केवल वर्णनात्मक न होकर नीतिगत विमर्श (policy discourse) में योगदान देने का प्रयास करता है।

4. डेटा व पद्धति (Data & Methodology)

4.1 डेटा स्रोत (Data Sources)

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक संख्यात्मक डेटा बरेली जनपद की जिला-स्तरीय MLALADS रिपोर्टों से प्राप्त किया गया। तीन वित्तीय वर्षों के विभिन्न अभिलेखों का उपयोग किया गया— इन फाइलों में कार्य का प्रकार, कार्यदायी संस्था, प्रस्तावक का नाम एवं विधानसभा क्षेत्र, तथा आगणित लागत (लाख रुपये में) का विवरण उपलब्ध था। नीतिगत संदर्भ के लिए विधायक विकास निधि योजना की आधिकारिक मार्गदर्शिका[18] का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त जिला-स्तरीय प्रशासनिक वेबसाइटों एवं सार्वजनिक अभिलेखों का उपयोग पूरक संदर्भ के रूप में किया गया।

4.2 डेटा प्रसंस्करण (Data Processing)

प्राप्त Excel फाइलों को Python के pandas पैकेज की सहायता से प्रोसेस किया गया। डेटा प्रसंस्करण की प्रक्रिया निम्न चरणों में सम्पन्न हुई—

a) डेटा क्लीनिंग (Data Cleaning):

- रिक्त प्रविष्टियों को चिह्नित किया गया
- अनावश्यक कॉलम हटाए गए
- विधानसभा क्षेत्र का नाम प्रस्तावक विवरण से पृथक किया गया

b) खर्च-आधार का निर्धारण: प्रत्येक प्रविष्टि में "कार्यदायी संस्था द्वारा आगणित लागत (लाख ₹ में)" को व्यय-अनुमान (expenditure proxy) के रूप में ग्रहण किया गया। यह विश्लेषण स्वीकृत लागत पर आधारित है, जिससे विभिन्न कार्यों की वित्तीय प्राथमिकता का तुलनात्मक अध्ययन संभव हुआ।

c) समेकन (Grouping & Aggregation): डेटा को निम्न आधारों पर समूहित किया गया—

- वित्तीय वर्ष × विधानसभा
- कार्य-प्रकार × तीन वर्ष संयुक्त
- विधानसभा-वार तीन-वर्षीय कुल व्यय

d) प्रतिशत विश्लेषण: प्रत्येक कार्य-प्रकार के कुल व्यय को समग्र व्यय से विभाजित कर प्रतिशत निकाला गया, जिससे निधि के प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

4.3 सांख्यिकीय एवं तुलनात्मक विश्लेषण

अध्ययन में वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistics) का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित विश्लेषणात्मक उपकरण अपनाए गए—

- कुल व्यय (Total Aggregation)
- प्रतिशत वितरण (Percentage Distribution)
- शीर्ष 5 विधानसभा क्षेत्रों की पहचान
- वर्ष-वार तुलनात्मक प्रवृत्ति (Trend Analysis)

यह अध्ययन अनुमानात्मक सांख्यिकी (Inferential Statistics) की अपेक्षा वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है, क्योंकि उद्देश्य नीति-पैटर्न की पहचान करना है।

4.4 ग्राफिक प्रस्तुति (Graphical Representation)

डेटा की स्पष्टता और तुलनात्मक अध्ययन हेतु ग्राफ तैयार किए गए।

4.5 अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of Methodology)

- अध्ययन केवल बरेली जिले तक सीमित है।
- सामाजिक प्रभाव का आकलन केवल वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया गया है; क्षेत्रीय सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं है।
- केवल तीन वित्तीय वर्षों के डेटा का उपयोग किया गया है, जिससे दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का सीमित आकलन संभव है।

4.6 पद्धति की उपयुक्तता

उपरोक्त पद्धति इस अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप है, क्योंकि—

- यह विधानसभा-वार तुलनात्मक विश्लेषण संभव बनाती है
- कार्य-प्रकार-वार प्राथमिकता स्पष्ट करती है
- नीति-सुझाव हेतु प्रमाण-आधारित निष्कर्ष प्रदान करती है

इस प्रकार डेटा-आधारित यह विश्लेषण बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना की वास्तविक प्रवृत्तियों को उजागर करता है तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

5. परिणाम (Results)

5.1 वर्ष-वार कुल आगणित लागत

तालिका 2: वर्षवार विधानसभा-वार व्यय सारणी (लाख रुपयों में)

विधानसभा	वित्तीय वर्ष 2023 -2024	वित्तीय वर्ष 2024 -2025	वित्तीय वर्ष 2025 -2026
आवंला	499.71	476.4	364.47
नवाबगंज	498.15	494.91	346.31
फरीदपुर	500	491.53	481.92
बरेली	494.58	486.21	497.27
बरेली कैंट	486.08	471.98	323.41
बहेड़ी	499.83	499.62	445.27
बिथरी चैनपुर	499.38	492.82	279.1
भोजीपुरा	487.21	499.25	498.92
मीरगंज	499.86	496.79	495.01

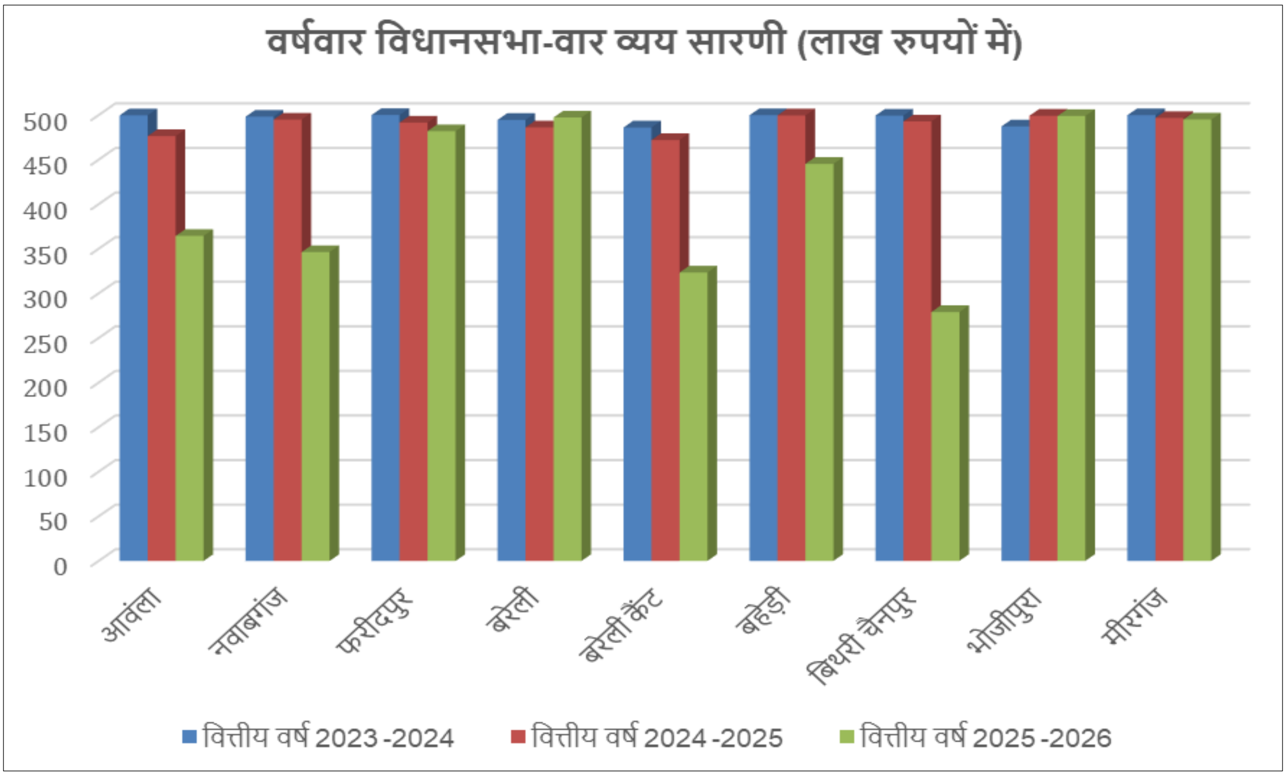

ग्राफ 1: वर्षवार विधानसभा-वार व्यय सारणी (लाख रुपयों में)

प्रस्तुत तालिका 2 में बरेली जनपद की नौ विधानसभा क्षेत्रों—आंवला, नवाबगंज, फरीदपुर, बरेली, बरेली कैंट, बहेड़ी, बिथरी चैनपुर, भोजीपुरा एवं मीरगंज—के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 तथा 2025–26 में विधायक विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत आगणित लागत (लाख रुपये में) का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह तालिका तीन वर्षों की तुलनात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है और निधि के वितरण-पैटर्न को समझने में सहायक है।

A. समग्र प्रवृत्ति (Overall Trend)

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत लागत लगभग 480 से 500 लाख रुपये के बीच रही है। इससे संकेत मिलता है कि इन दो वर्षों में निधि का आवंटन अपेक्षाकृत स्थिर एवं संतुलित था। वर्ष 2025–26 में कुछ क्षेत्रों में व्यय में गिरावट परिलक्षित होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में व्यय स्तर लगभग पूर्ववत या उससे अधिक रहा। यह प्रवृत्ति इस बात का संकेत देती है कि प्रारंभिक दो वर्षों में निधि का वितरण एकरूपता की ओर था, जबकि तीसरे वर्ष में विधानसभा-विशिष्ट परियोजनाओं या प्रशासनिक प्राथमिकताओं के कारण अंतर उभरकर सामने आया।

B. विधानसभा-वार विश्लेषण

a) आंवला

आंवला विधानसभा में वर्ष 2023–24 में 499.71 लाख रुपये तथा 2024–25 में 476.40 लाख रुपये की स्वीकृति रही, जो लगभग समान

स्तर दर्शाती है। किंतु 2025–26 में यह घटकर 364.47 लाख रुपये रह गई। यह गिरावट तुलनात्मक रूप से अधिक है, जो संकेत देती है कि या तो परियोजनाओं की संख्या कम रही या स्वीकृत कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ।

b) नवाबगंज
नवाबगंज में पहले दो वर्षों में क्रमशः 498.15 और 494.91 लाख रुपये का व्यय स्वीकृत हुआ, जो संतुलित वितरण को दर्शाता है। तीसरे वर्ष में यह घटकर 346.31 लाख रुपये रह गया। यह प्रवृत्ति आंवला के समान है और दर्शाती है कि कुछ क्षेत्रों में 2025–26 में स्वीकृति स्तर कम हुआ।

c) फरीदपुर
फरीदपुर में 2023–24 में 500 लाख रुपये (लगभग पूर्ण स्वीकृति सीमा) का व्यय दर्ज हुआ। 2024–25 में यह 491.53 लाख तथा 2025–26 में 481.92 लाख रुपये रहा। यहाँ गिरावट सीमित है और तीनों वर्षों में व्यय स्तर अपेक्षाकृत स्थिर रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि इस विधानसभा में निधि का उपयोग निरंतर एवं संतुलित रूप से हुआ।

d) बरेली
बरेली विधानसभा में 2023–24 में 494.58 लाख, 2024–25 में 486.21 लाख तथा 2025–26 में 497.27 लाख रुपये की स्वीकृति रही। उल्लेखनीय है कि 2025–26 में यहाँ व्यय में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विकासात्मक प्राथमिकताएँ तीसरे वर्ष में और अधिक सक्रिय रहीं।

e) बरेली कैंट
बरेली कैंट में 2023–24 और 2024–25 में क्रमशः 486.08 और 471.98 लाख रुपये की स्वीकृति रही। किंतु 2025–26 में यह घटकर 323.41 लाख रुपये रह गई। यह गिरावट अपेक्षाकृत अधिक है, जिससे संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में परियोजनाओं की संख्या या लागत कम रही।

f) बहेड़ी
बहेड़ी विधानसभा में 2023–24 में 499.83 लाख तथा 2024–25 में 499.62 लाख रुपये की स्वीकृति रही, जो अत्यंत स्थिर एवं संतुलित वितरण को दर्शाती है। 2025–26 में यह घटकर 445.27 लाख रुपये हो गई, किंतु फिर भी यह अन्य कई क्षेत्रों की तुलना में उच्च स्तर पर है।

g) बिथरी चैनपुर
बिथरी चैनपुर में पहले दो वर्षों में लगभग 499 लाख और 492 लाख रुपये की स्वीकृति रही, किंतु 2025–26 में यह घटकर 279.10 लाख रुपये रह गई। यह तालिका में सर्वाधिक गिरावट वाले क्षेत्रों में से एक है, जो विशेष ध्यान की अपेक्षा करता है।

h) भोजीपुरा
भोजीपुरा में 2023–24 में 487.21 लाख, 2024–25 में 499.25 लाख और 2025–26 में 498.92 लाख रुपये की स्वीकृति रही। यहाँ तीनों वर्षों में व्यय उच्च स्तर पर बना रहा। यह विधानसभा निधि उपयोग के संदर्भ में अत्यंत स्थिर और सक्रिय प्रतीत होती है।

i) मीरगंज
मीरगंज में 2023–24 में 499.86 लाख, 2024–25 में 496.79 लाख तथा 2025–26 में 495.01 लाख रुपये की स्वीकृति रही। यह विधानसभा तीनों वर्षों में लगभग समान स्तर पर बनी रही, जो संतुलित विकास का संकेत देती है।

C. तुलनात्मक विश्लेषण
तालिका से स्पष्ट होता है कि:

- 2023–24 और 2024–25 में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत राशि लगभग 480–500 लाख रुपये के मध्य रही।
- 2025–26 में आंवला, नवाबगंज, बरेली कैंट और बिथरी चैनपुर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई।
- भोजीपुरा, मीरगंज और बरेली में निधि का उपयोग निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा।
- फरीदपुर और बहेड़ी में भी अपेक्षाकृत स्थिरता दिखाई देती है।

यह वितरण इस बात का संकेत है कि योजना का समग्र उद्देश्य—संतुलित क्षेत्रीय विकास—प्रारंभिक वर्षों में सफलतापूर्वक परिलक्षित हुआ। तथापि, तीसरे वर्ष में उभरती असमानता संभावित प्रशासनिक, परियोजना-विशिष्ट या नीति-परिवर्तन कारकों की ओर संकेत करती है।

इस प्रकार, यह तालिका न केवल वित्तीय वितरण को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि विधायक विकास निधि योजना बरेली जनपद में क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रही है। संतुलित आवंटन के साथ-साथ समय-समय पर निगरानी एवं मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

5.1 उद्देश्य-वार प्रतिशत विश्लेषण

तालिका 3: उद्देश्य-वार प्रतिशत विश्लेषण (तीनों वर्षों का संयुक्त विश्लेषण)

कार्य का प्रकार	कुल लागत (लाख ₹)	प्रतिशत (%)
हाई मास्ट लाइट	3293.8	22.30%
सी.सी. रोड व नाली	2770.65	18.76%
सी.सी. रोड	1906.83	12.91%
सोलर लाईट	1642.07	11.12%
शेड निर्माण	806.1	5.46%

फर्नीचर	785.5	5.32%
स्वागत द्वार	697.47	4.72%
इंटरलॉकिंग रोड व नाली	568.34	3.85%
भवन निर्माण	506.71	3.43%
खड़ंजा निर्माण	438.75	2.97%
अन्य सभी कार्य	शेष	< 2%

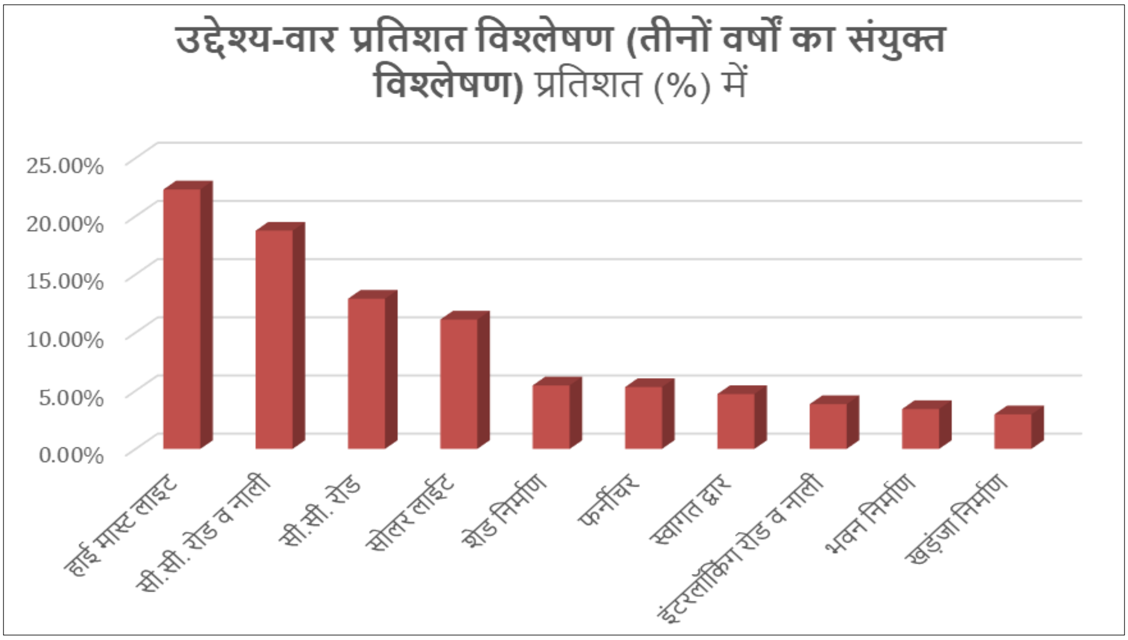

ग्राफ 2: उद्देश्य-वार प्रतिशत विश्लेषण (तीनों वर्षों का संयुक्त विश्लेषण)

विधायक विकास निधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का उद्देश्य-आधारित (purpose-wise) विश्लेषण किसी भी क्षेत्र में विकासात्मक प्राथमिकताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बरेली जनपद के संदर्भ में तीन वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25 तथा 2025–26) के संयुक्त आंकड़ों के आधार पर किया गया यह विश्लेषण निधि के उपयोग की संरचना, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं तथा सामाजिक-आर्थिक अभिमुखता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। इस अध्ययन में प्रत्येक कार्य-प्रकार पर व्यय की कुल आगणित लागत (लाख रुपये में) तथा उसका कुल व्यय में प्रतिशत हिस्सा निकाला गया है, जिससे निधि वितरण के प्रवृत्तिमूलक आयामों की पहचान की जा सके।

संयुक्त विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि विधायक विकास निधि का प्रमुख भाग भौतिक अवसंरचना सुदृढ़ीकरण (physical infrastructure strengthening) पर व्यय किया गया है। शीर्ष चार मद—हाई मास्ट लाइट (22.30%), सी.सी. रोड व नाली (18.76%), सी.सी. रोड (12.91%) तथा सोलर लाईट (11.12%)—मिलकर कुल व्यय का लगभग 65% से अधिक हिस्सा ग्रहण करते हैं। यह स्पष्ट संकेत देता है कि स्थानीय विकास का वर्तमान मॉडल अवसंरचना-प्रधान (infrastructure-centric) है।

a. हाई मास्ट लाइट (22.30%)

- संयुक्त तीन-वर्षीय अवधि में हाई मास्ट लाइट परियोजनाओं पर 3293.80 लाख रुपये का व्यय हुआ, जो कुल निधि का सर्वाधिक 22.30 प्रतिशत है। यह उच्चतम प्रतिशत यह दर्शाता है कि सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। हाई मास्ट लाइट प्रायः सार्वजनिक स्थलों, चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं सामुदायिक स्थलों पर स्थापित की जाती हैं, जहाँ रात्रिकालीन गतिविधियाँ अधिक होती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह निवेश शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करता है। बेहतर प्रकाश व्यवस्था अपराध-नियंत्रण, यातायात सुरक्षा तथा आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में सहायक मानी जाती है। विशेष रूप से महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए रात्रिकालीन सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण सामाजिक समावेशन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इस प्रकार, हाई मास्ट लाइट पर उच्च व्यय यह इंगित करता है कि विधायक निधि का उपयोग त्वरित और दृश्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले कार्यों पर केंद्रित रहा है।

b. सी.सी. रोड व नाली (18.76%) तथा सी.सी. रोड (12.91%)

- सड़क एवं जल निकासी अवसंरचना किसी भी क्षेत्रीय विकास का मूल आधार मानी जाती है। "सी.सी. रोड व नाली" पर 2770.65 लाख रुपये तथा "सी.सी. रोड" पर 1906.83 लाख रुपये का व्यय हुआ है। संयुक्त रूप से यह लगभग 31.67 प्रतिशत व्यय का प्रतिनिधित्व करता है, जो निधि की संरचना में एक प्रमुख घटक है। सी.सी. रोड निर्माण से ग्रामीण एवं शहरी संपर्क मार्गों की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे परिवहन सुविधा, कृषि उत्पादों का विपणन, विद्यालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच तथा व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। नाली निर्माण जलभराव

की समस्या को कम करने तथा स्वच्छता में सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल निकासी व्यवस्था में सुधार से जलजनित रोगों की रोकथाम संभव होती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विधायक निधि का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों मदों पर व्यय हुआ है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्थानीय प्रतिनिधि आधारभूत संरचना के उन घटकों को प्राथमिकता देते हैं जिनका प्रत्यक्ष और व्यापक प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है।

c. सोलर लाईट (11.12%)

- सोलर लाईट परियोजनाओं पर 1642.07 लाख रुपये का व्यय कुल निधि का 11.12 प्रतिशत है। यह प्रतिशत यह दर्शाता है कि पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ वैकल्पिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी प्रोत्साहित किया गया है। सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था विद्युत आपूर्ति पर निर्भरता कम करती है तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ विद्युत आपूर्ति अनियमित रहती है, वहाँ सोलर लाइट की स्थापना दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती है। साथ ही, यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के अनुरूप है। इस प्रकार, यह निवेश केवल तात्कालिक सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में भी सकारात्मक संकेत देता है।

d. शेड निर्माण (5.46%)

- शेड निर्माण पर 806.10 लाख रुपये का व्यय किया गया, जो कुल निधि का 5.46 प्रतिशत है। यह मद सामुदायिक सुविधा से संबंधित है। शेड का उपयोग सार्वजनिक स्थलों, बस-स्टैंड, बाजार क्षेत्रों, विद्यालय परिसरों या सामुदायिक कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है। यह निवेश दर्शाता है कि निधि का एक भाग सार्वजनिक सुविधा और सामाजिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने में लगाया गया है। यद्यपि प्रतिशत अपेक्षाकृत सीमित है, फिर भी यह स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति का संकेतक है।

e. फर्नीचर (5.32%)

- फर्नीचर मद में 785.50 लाख रुपये का व्यय हुआ है, जो कुल निधि का 5.32 प्रतिशत है। यह मद प्रायः विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, पंचायत कार्यालयों या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लिए उपयोगी होती है। फर्नीचर की उपलब्धता शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों की दक्षता को बढ़ाती है। इस निवेश का सामाजिक आयाम विशेष रूप से शिक्षा और सामुदायिक संस्थानों की कार्यक्षमता से जुड़ा है। यद्यपि यह भौतिक निर्माण की तुलना में कम दृश्यात्मक है, फिर भी संस्थागत विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है।

f. स्वागत द्वार (4.72%)

- स्वागत द्वार निर्माण पर 697.47 लाख रुपये व्यय हुए हैं। यह कुल निधि का 4.72 प्रतिशत है। यह मद मुख्यतः सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय गौरव से जुड़ा हुआ है। स्वागत द्वार प्रायः नगर या ग्राम की सीमा पर स्थापित किए जाते हैं और स्थानीय पहचान को सुदृढ़ करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की परियोजनाएँ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं देतीं, परंतु वे सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करती हैं।

g. इंटरलॉकिंग रोड व नाली (3.85%)

- इस मद पर 568.34 लाख रुपये व्यय हुए हैं। यह छोटे पैमाने की स्थानीय अवसंरचना परियोजनाओं को दर्शाता है। इंटरलॉकिंग टाइल्स आधारित सड़कें प्रायः गलियों एवं आवासीय क्षेत्रों में उपयोग की जाती हैं, जो स्थानीय आवागमन को सुगम बनाती हैं।

h. भवन निर्माण (3.43%)

- भवन निर्माण पर 506.71 लाख रुपये का व्यय हुआ है। यह मद शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक भवनों या सार्वजनिक उपयोग की संरचनाओं के निर्माण से संबंधित है। यद्यपि इसका प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, फिर भी यह दीर्घकालिक परिसंपत्ति सृजन की दिशा में योगदान देता है।

i. खड़ंजा निर्माण (2.97%)

- खड़ंजा निर्माण पर 438.75 लाख रुपये व्यय हुए हैं। यह ग्रामीण अवसंरचना सुधार का संकेत है। कच्ची सड़कों के स्थान पर खड़ंजा निर्माण ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करता है।

j. अन्य सभी कार्य (<2%)

- अन्य मदों—जैसे पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण आदि—पर कुल व्यय 2 प्रतिशत से कम है। यह तथ्य दर्शाता है कि सामाजिक-सांस्कृतिक और मानव विकास से संबंधित परियोजनाओं को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी गई है।

उपरोक्त उद्देश्य-वार विश्लेषण से स्पष्ट है कि विधायक विकास निधि का उपयोग मुख्यतः अवसंरचना उन्मुख विकास मॉडल के अंतर्गत किया गया है। प्रकाश व्यवस्था और सड़क निर्माण पर केंद्रित व्यय स्थानीय स्तर पर तात्कालिक सुविधा और दृश्यात्मक विकास को प्राथमिकता देता है। वहीं सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में निवेश सीमित रहा है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की उस धारणा को भी दर्शाती है जिसमें जनप्रतिनिधि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं जिनका प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है। तथापि, दीर्घकालिक और समावेशी विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अवसंरचना में निवेश की आवश्यकता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः यह कहा जा सकता है कि बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने अवसंरचना सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु सामाजिक-आर्थिक संतुलन सुनिश्चित करने हेतु निधि वितरण की संरचना में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

6. चर्चा (Discussion)

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना के उपयोग की प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। उद्देश्य-वार एवं विधानसभा-वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि निधि का प्रमुख भाग आधारभूत अवसंरचना के विकास पर केंद्रित रहा है। यह प्रवृत्ति स्थानीय विकास की प्रकृति, राजनीतिक प्राथमिकताओं तथा

प्रशासनिक कार्यान्वयन के ढांचे को समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

a) आधारभूत अवसंरचना-केन्द्रित प्रवृत्ति

विश्लेषण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था—विशेषकर हाई मास्ट लाइट—और सड़क/नाली निर्माण पर सर्वाधिक व्यय हुआ है। यह अवसंरचना-प्रधान (infrastructure-centric) विकास मॉडल का संकेत देता है। सड़क, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था जैसी परियोजनाएँ तत्काल दृश्य प्रभाव उत्पन्न करती हैं और व्यापक जनसमुदाय को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती हैं। लोकतांत्रिक राजनीति के संदर्भ में यह समझा जा सकता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जिनका परिणाम शीघ्र और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सड़क एवं नाली निर्माण से ग्रामीण-शहरी संपर्क, स्थानीय व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार होता है। इसी प्रकार, हाई मास्ट लाइट की स्थापना से सार्वजनिक सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं और वृद्ध नागरिकों के लिए, सुदृढ़ होती है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि विधायक निधि का उपयोग जनसुविधा उन्मुख विकास के लिए किया गया है। हालाँकि, यह भी विचारणीय है कि अत्यधिक अवसंरचना-केंद्रित निवेश कहीं सामाजिक एवं मानव विकास के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा तो नहीं कर रहा। संतुलित विकास के लिए अवसंरचना और सामाजिक पूंजी (social capital) के मध्य संतुलन आवश्यक है।

b) सतत ऊर्जा की ओर झुकाव

सोलर लाइट परियोजनाओं पर उल्लेखनीय निवेश इस बात का संकेत है कि स्थानीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता और सतत विकास (sustainable development) की अवधारणा को महत्व दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था न केवल विद्युत व्यय को कम करती है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी है। यह वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ विद्युत आपूर्ति अनियमित हो सकती है, सोलर लाइट दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलता है। तथापि, सौर उपकरणों के रख-रखाव, बैटरी प्रतिस्थापन तथा तकनीकी निगरानी की योजना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि रख-रखाव तंत्र सुदृढ़ न हो, तो प्रारंभिक निवेश के बावजूद दीर्घकालिक लाभ सीमित हो सकते हैं। अतः सतत ऊर्जा परियोजनाओं की सफलता के लिए तकनीकी समर्थन और वित्तीय प्रावधान अनिवार्य हैं।

c) सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं की अल्प-प्रतिशत भागीदारी

उद्देश्य-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि पुस्तकालय, सांस्कृतिक केंद्र, खेल सुविधाएँ, सामुदायिक भवनों जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक मदों पर अपेक्षाकृत कम व्यय हुआ है। यद्यपि अवसंरचना विकास महत्वपूर्ण है, किंतु सामाजिक पूंजी का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और खेल सुविधाएँ दीर्घकालिक सामाजिक सशक्तिकरण का आधार बनती हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं पर कम निवेश यह संकेत दे सकता है कि तत्काल दृश्यात्मक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जबकि दीर्घकालिक मानव विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। यदि सामाजिक अवसंरचना का विकास पर्याप्त न हो, तो क्षेत्रीय विकास की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अतः निधि के उपयोग में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

d) वर्षीय असमानता

वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत लागत में कमी परिलक्षित होती है। यह प्रवृत्ति विभिन्न कारणों से संबंधित हो सकती है—जैसे परियोजनाओं की चरणबद्ध स्वीकृति, प्रशासनिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन, या वित्तीय वर्ष की आंशिक प्रगति। वर्ष-वार असमानता यह दर्शाती है कि निधि वितरण का पैटर्न स्थिर नहीं है, बल्कि समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। यह आवश्यक है कि इस प्रकार की असमानताओं का नियमित मूल्यांकन किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी क्षेत्र में विकास की गति बाधित न हो। दीर्घकालिक योजना-निर्माण एवं वार्षिक लक्ष्य निर्धारण से वर्षीय उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकता है।

e) पारदर्शिता एवं निगरानी

विधायक विकास निधि योजना के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्थाएँ मान्यता प्राप्त सार्वजनिक निकाय हों और सेंटेज चार्जेज की मांग न करें। यह प्रावधान वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, केवल दिशानिर्देश पर्याप्त नहीं हैं; उनके प्रभावी अनुपालन के लिए निगरानी तंत्र सुदृढ़ होना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लागत नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल सार्वजनिक रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। यदि प्रत्येक परियोजना की प्रगति, लागत विवरण और फोटो-प्रमाण सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हों, तो नागरिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी।

7. नीति-सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

a) रख-रखाव हेतु संस्थागत व्यवस्था

नव-निर्मित परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों के माध्यम से वार्षिक रख-रखाव बजट निर्धारित किया जाना चाहिए। यद्यपि विधायक निधि का उपयोग स्थायी आवर्ती व्यय के लिए नहीं किया जा सकता, फिर भी स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्मित परिसंपत्तियों का संरक्षण एवं मरम्मत नियमित रूप से हो।

b) समानुपातिक सामाजिक निवेश

संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक एवं खेल सुविधाओं जैसे क्षेत्रों के लिए न्यूनतम प्रतिशत आरक्षित किया जाए। उदाहरणार्थ, कुल निधि का कम से कम 10 प्रतिशत सामाजिक-सांस्कृतिक उन्नयन हेतु निर्धारित किया जा सकता है। इससे अवसंरचना और मानव विकास के मध्य संतुलन स्थापित होगा।

c) पारदर्शिता प्लेटफार्म का विकास

एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाना चाहिए, जहाँ प्रत्येक परियोजना की स्थिति, व्यय विवरण, कार्य-प्रगति रिपोर्ट और स्थल-चित्र उपलब्ध हों। इससे नागरिकों को जानकारी प्राप्त होगी और योजना की पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

d) स्थानीय सहभागिता को अनिवार्य बनाना

ग्राम सभा या वार्ड समिति की सहमति को अनिवार्य किया जाना चाहिए। वार्षिक सार्वजनिक ऑडिट (social audit) की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे नागरिक स्वयं विकास कार्यों की समीक्षा कर सकें। इससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुदृढ़ होगा।

e) प्रदर्शन-आधारित चयन प्रणाली

जिलाधिकारी स्तर पर कार्यदायी संस्थाओं की सूची तैयार करते समय पिछले वर्ष की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं वित्तीय अनुशासन के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे दक्ष एवं विश्वसनीय संस्थाओं को प्राथमिकता मिलेगी और परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने अवसंरचना सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तथापि, संतुलित एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक-सांस्कृतिक निवेश, पारदर्शिता और दीर्घकालिक रख-रखाव की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि उपर्युक्त नीति-सुझावों को लागू किया जाए, तो यह योजना क्षेत्रीय विकास का अधिक प्रभावी एवं सतत माध्यम सिद्ध हो सकती है।

8. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना ने स्थानीय स्तर पर आधारभूत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीन वित्तीय वर्षों (2023–24 से 2025–26) के उद्देश्य-वार तथा विधानसभा-वार विश्लेषण से यह प्रमाणित होता है कि निधि का प्रमुख भाग सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, विशेषकर हाई मास्ट लाइट, तथा सड़क एवं नाली निर्माण जैसे कार्यों पर व्यय किया गया है। यह प्रवृत्ति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि योजना के माध्यम से ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई जिनका प्रत्यक्ष, दृश्यात्मक और त्वरित प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है। सड़क निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था में सुधार से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों तथा ग्रामीण-शहरी संपर्क में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार, प्रकाश व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से सामाजिक सुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है। इन पहलुओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि विधायक विकास निधि योजना बरेली जनपद में अवसंरचना-प्रधान विकास मॉडल को सशक्त कर रही है। तथापि, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि निधि का झुकाव मुख्यतः उन परियोजनाओं की ओर रहा है जो चुनावी दृष्टि से अधिक दृश्यात्मक एवं तात्कालिक जनसंतोष प्रदान करने वाली हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ तथा सांस्कृतिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम निवेश परिलक्षित हुआ है। दीर्घकालिक सामाजिक-मानव पूँजी (human capital) के निर्माण हेतु इन क्षेत्रों में अधिक संतुलित निवेश की आवश्यकता है। यदि विकास को केवल भौतिक अवसंरचना तक सीमित रखा जाए, तो सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है। अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि योजना की प्रभावशीलता केवल स्वीकृत व्यय तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्मित परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक रख-रखाव, गुणवत्ता नियंत्रण तथा सामाजिक उपयोगिता पर भी निर्भर करती है। अतः पारदर्शिता, डिजिटल रिपोर्टिंग, स्थानीय सहभागिता और नियमित सामाजिक ऑडिट जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यदायी संस्थाओं के चयन एवं निगरानी की प्रक्रिया में प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिससे संसाधनों का उपयोग अधिक दक्षता एवं उत्तरदायित्व के साथ किया जा सके। समग्रतः, बरेली जनपद में विधायक विकास निधि योजना क्षेत्रीय विकास का एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुई है। यदि अवसंरचना विकास के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में संतुलित निवेश, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था तथा दीर्घकालिक रख-रखाव की संस्थागत संरचना विकसित की जाए, तो यह योजना अधिक समावेशी, सतत और गुणात्मक विकास को सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकती है। इस प्रकार, विधायक विकास निधि योजना स्थानीय शासन प्रणाली में विकेन्द्रीकृत विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरती है, जिसकी प्रभावशीलता उसके संतुलित एवं उत्तरदायी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

संदर्भ

1. MLALADS Guideline. (2023). *Guideline for MLA Local Area Development Scheme*. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश. Retrieved from https://mlaladsup.in/Uploads/Guideline_MLALADS_F1.pdf
2. Bareilly District Official. (n.d.). *Assembly constituency wise form — Bareilly*. Retrieved from https://bareilly.nic.in/assembly-constituency-wise-form-20/
3. Budaun District Election page. (n.d.). *Election / निर्वाचन क्षेत्र जानकारी.* Retrieved from https://budaun.nic.in/election/
4. Pilibhit District. (n.d.). *विधान सभा संबंधित जानकारी.* Retrieved from https://pilibhit.nic.in/hi/विधान-सभा-क्षेत्र/
5. Shahjahanpur District. (n.d.). *निर्वाचन क्षेत्र / विधानसभा जानकारी.* Retrieved from https://shahjahanpur.nic.in/hi/निर्वाचन-क्षेत्र-ऑन/
6. User-Provided Data. (2026). *Bareilly District MLALADS records (2023–24 to 2025–26)*. (Primary dataset: Bareilly Jila 2023-24.xlsx; Bareilly jila kul karya 2024-25.xlsx; Bareilly Jila 2025-26.xlsx) — Provided by user.
7. Comptroller and Auditor General of India. (2010). *Performance audit of MPLADS*. Government of India.
8. Drishti IAS. (2021). *MLA-LAD Scheme analysis*. Retrieved from https://www.drishtiias.com
9. Government of India. (2016). *Guidelines on MPLADS*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.

10. Government of Uttar Pradesh. (2023). *Guidelines for MLA Local Area Development Scheme*. Gramya Vikas Vibhag.
11. International Budget Partnership. (2010). *Constituency Development Funds: Scoping paper*.
12. Khemani, S. (2007). *Does delegation of fiscal policy to elected representatives improve accountability?* World Bank Policy Research Working Paper.
13. Kimenyi, M. (2005). *Efficiency and efficacy of Kenya's Constituency Development Fund*. African Economic Research Consortium.
14. Manor, J. (2010). *Local governance and decentralization in India*. Oxford University Press.
15. Planning Commission of India. (2011). *Evaluation study of MPLADS*. Government of India.
16. Saxena, N. C. (2013). *Decentralization and development outcomes in India*. Economic & Political Weekly.
17. [1] MLALADS Guideline, 2023: https://mlaladsup.in/Uploads/Guideline_MLALADS_F1.pdf
18. https://mlaladsup.in/
19. विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना |ग्राम्य विकास विभाग , उत्तर प्रदेश | MLA LADS UP
20. mplads.gov.in
21. MLALADS Guideline, 2023: https://mlaladsup.in/Uploads/Guideline_MLALADS_F1.pdf
22. MLALADS Guideline, 2023: https://mlaladsup.in/Uploads/Guideline_MLALADS_F1.pdf
23. Khemani, S. (2007). Does delegation of fiscal policy to elected representatives improve accountability? World Bank Policy Research Working Paper.
24. International Budget Partnership. (2010). Constituency Development Funds: Scoping paper.
25. Planning Commission of India. (2011). Evaluation study of MPLADS. Government of India.
26. Comptroller and Auditor General of India. (2010). Performance audit of MPLADS. Government of India.
27. Saxena, N. C. (2013). Decentralization and development outcomes in India. Economic & Political Weekly.
28. Government of Uttar Pradesh. (2023). Guidelines for MLA Local Area Development Scheme. Gramya Vikas Vibhag.
29. Drishti IAS. (2021). MLA-LAD Scheme analysis. Retrieved from https://www.drishtiias.com
30. Planning Commission of India. (2011). Evaluation study of MPLADS. Government of India.
31. Kimenyi, M. (2005). Efficiency and efficacy of Kenya's Constituency Development Fund. African Economic Research Consortium.
32. Manor, J. (2010). Local governance and decentralization in India. Oxford University Press.
33. MLALADS Guideline. (2023). *Guideline for MLA Local Area Development Scheme*. Retrieved from https://mlaladsup.in/Uploads/Guideline_MLALADS_F1.pdf